पत्रांक–मं०मं०–01/आर०–14/2008......51............/

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 14 जनवरी, 2019

विषय :– मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ संलेख प्रस्ताव भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–805, दिनांक–17.06.2016

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदनार्थ विभागों द्वारा संलेख प्रस्ताव भेजने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–805, दिनांक–17.06.2016 द्वारा दिशानिर्देश दिए गए है। परन्तु उक्त परिपत्र में दिये गए निर्देशों का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। विगत मंत्रिपरिषद् की बैठक के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है कि मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि तक भी विभागों से संलेख प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जिसके कारण संलेखों के परीक्षण एवं उपस्थापन में अनेकशः कठिनाईयाँ महसूस की जाती है। इसी के मद्देनजर पूर्व में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक–805, दिनांक–17.06.2016 पत्र की कंडिका–1(xiii) में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए है,

"मंत्रिपरिषद् की बैठक समान्यतः प्रत्येक मंगलवार को निर्धारित है। अतः प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार के पूर्वाह्न तक संलेख प्रस्ताव निश्चित रूप से मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को प्राप्त करा दिया जाए ताकि इसे मंत्रिपरिषद् की अगली बैठक में सम्मिलित करने के विचारार्थ संलेख प्रस्ताव की समुचित जाँच एवं सम्यक् समीक्षा कर मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।"

अतः मुख्य सचिव द्वारा पूर्व में दिए गए दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

.विश्वासभाजन

14/1/2019
(संजय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव

D:\Cab 1 Systems\old file\Srikant.doc